

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 474/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/731

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

जोगाराम पुत्र धनाराम
जाति राईका निवासी गोलिया
वाया बिदूजा तहसील पचपदरा

1. गिरधारीराम पुत्र तुलछाराम
2. गीलाराम पुत्र मांगाराम
3. तीजो पत्नि तुलछाराम
4. दौलाराम पुत्र मांगाराम
5. पुखराज पुत्र मांगाराम
6. भंवराराम पुत्र गोबरराम
7. सांवलराम पुत्र तुलछाराम
जाति राईका
8. कासम खां पुत्र उस्मान खां
जाति मोयला निवासी गोलिया वाया
बिदूजा तहसील पचपदरा जिला
बालोतरा
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थिति-

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भगवतसिंह राठौड़ अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 7
3. विप्रार्थी संख्या 8 व 9

आदेश

दिनांक 27/04/2026



1. संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 740/340 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सेढे को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 740/340 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील भुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 740/340 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढ सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढे को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढे को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है।

अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 740/340 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे



4.विप्रार्थी संख्या 1 से 7 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थी व विप्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओ को लेकर कोई विवाद नहीं है,मौके पर पुरानी माढे कायम है। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है,जबकि प्रार्थी आए दिन सीमाओ को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावे।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 740/340 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड खातेदार है, और रिकार्ड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.6.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

--:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 740/340 क्षेत्रफल 2.4270 हेक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है।



आदेश आज दिनांक 27/04/2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(Signature)
(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा